| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | कार्तिक 27, सोमवार, *शाके 1946*- नवम्बर 18, *2024* | |
| | *Kartika 27, Monday, Saka 1946- November 18, 2024* | |


भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**वित्त विभाग**

**(कर अनुभाग)**

अधिसूचना

**जयपुर, नवम्बर 13, 2024**

**एस.ओ.84 :**-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(42)वित्त/कर/2009-100दिनांक 14.10.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**राज्यपाल के आदेश से,**

डॉ. खुशाल यादव,

**संयुक्त शासन सचिव।**

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

"अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 14, 2024**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान सरकार की किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसायटी या राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा या के अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास द्वारा लोक सेवा के प्रयोजन के लिए या राज्यहित में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ नये ऋणों के साथ-साथ विद्यमान ऋणों के नवीनीकरण के लिए, 31.03.2030 तक निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

**[सं. एफ. 2(42)वित्त/कर/2009-100]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

डॉ. खुशाल यादव,

**संयुक्त शासन सचिव''।**